न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)
राष्ट्रीय लोक अदालत स्थान सुजानगढ़ दिनांक 22.12.2024

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या : 94 / 2024
निर्णय दिनांक : 22.12.2024
जीसीएमएस संख्या– 2024 / 203 दायर दिनांक – 12.09.2024

गोपीचन्द दतक पुत्र मिलाराम जाति ब्राहमण निवासी ग्राम कोलासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू

...............प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू

...............अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र धारा 136 एल आर एक्ट

उपस्थित :–
1. प्रार्थी अधिवक्ता श्री हरीशचंद पारीक एड. उपस्थित।
2. अप्रार्थी पेरोकार राज उपस्थित।

–:निर्णयः–

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ग्राम कोलासर का स्थाई निवासी है जिनके रोही ग्राम मुरड़ाकिया तहसील सुजानगढ़ में खेत खाता संख्या 136 के खसरा संख्या 113 तादादी 1.3909 हैक्टेयर, खसरा संख्या 179 तादादी 0.7081 हैक्टेयर, खसरा संख्या 197 तादादी 1.8461 हैक्टेयर, खसरा संख्या 212 तादादी 1.8841 हैक्टेयर, खसरा संख्या 29 तादादी 7.9284 हैक्टेयर, खसरा संख्या 3 तादादी 0.4046 हैक्टेयर, खसरा संख्या 43 तादादी 1.6691 हैक्टेयर, खसरा संख्या 68 तादादी 0.8598 हैक्टेयर, खसरा संख्या 70 तादादी 2.2002 हैक्टेयर, खसरा संख्या 76 तादादी 2.0105 हैक्टेयर व खसरा संख्या 96 तादादी 0.2023 हैक्टेयर कुल किता 11 कुल तादादी 21.1041 हैक्टेयर खातेदारी में दर्ज स्थित है। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गोपीराम दतक पुत्र मीलाराम दर्ज है जबकि प्रार्थी के अन्य दस्तावेज यथा आधार कार्ड, आयकर विभाग द्वारा जारी पहचान प्रमाण पत्र आदि में गोपीचंद दतक पुत्र मिलाराम दर्ज है।

सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़

सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़

सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत होने के कारण प्रार्थी को सरकारी लाभांश आदि प्राप्त करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण प्रार्थी की खातेदारी भूमि में प्रार्थी का नाम दुरस्त करवाना प्रार्थी के लिए आवश्यक है।

प्रार्थी का खेत रोही कोलासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में होने के कारण प्रार्थना पत्र का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार श्रीमान् को प्राप्त है।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के दस्तोवजों में नाम गोपीचंद दतक पुत्र मिलाराम दर्ज है। गोपीराम व गोपीचंद दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। अतः प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गोपीचंद दतक पुत्र मिलाराम किया जाना उचित है।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड, आयकर विभाग द्वारा जारी पहचान प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजात में भी प्रार्थी का नाम गोपीचंद दतक पुत्र मिलाराम अंकित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

प्रार्थना–पत्र प्रार्थी राष्ट्रीय लोक अदालत में स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत खाता संख्या 136 के खसरा संख्या 113 तादादी 1.3909 हैक्टेयर, खसरा संख्या 179 तादादी 0.7081 हैक्टेयर, खसरा संख्या 197 तादादी 1.8461 हैक्टेयर, खसरा संख्या 212 तादादी 1.8841 हैक्टेयर, खसरा संख्या 29 तादादी 7.9284 हैक्टेयर, खसरा संख्या 3 तादादी 0.4046 हैक्टेयर, खसरा संख्या 43 तादादी 1.6691 हैक्टेयर, खसरा संख्या 68 तादादी 0.8598 हैक्टेयर, खसरा संख्या 70 तादादी 2.2002 हैक्टेयर, खसरा संख्या 76 तादादी 2.0105 हैक्टेयर व खसरा संख्या 96 तादादी 0.2023 हैक्टेयर कुल किता 11 कुल तादादी 21.1041 हैक्टेयर वाके रोही मुरड़ाकिया तहसील सुजानगढ़ में दर्ज खातेदार गोपीराम दतक पुत्र मीलाराम जाति ब्राहमण निवासी कोलासर खातेदार के स्थान पर गोपीचंद दतक पुत्र मिलाराम जाति ब्राहमण निवासी कोलासर खातेदार दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 22.12.2024 को टंकित करवाया जाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।

न्यायिक अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत
अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

पैनल अधिवक्ता (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

रेवन्यू अधिकारी (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़